



छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 02/वि.स./संपदा/2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.2026

// निविदा आमंत्रण //

नवीन छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर, अटल नगर नवा रायपुर स्थित समस्त भवनों की प्रतिमाह की दर पर दो (02) वर्षों तक साफ-सफाई कार्य हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित फर्म/एजेंसी से सील बंद प्रस्ताव दिनांक 24.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं, प्राप्त प्रस्ताव क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। इस दौरान प्रस्ताव देने वाले अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

प्रस्ताव हेतु प्रपत्र, विस्तृत शर्तों आदि की जानकारी विधान सभा सचिवालय की संपदा शाखा भूतल स्थित कक्ष क्रमांक बी-08 सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर से राशि रूपये 5,000/- (अक्षरी पांच हजार मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विधान सभा की वेबसाइट [www. cgvidhansabha. gov. in](http://www.cgvidhansabha.gov.in) से डाउनलोड भी की जा सकती है, जिसके शुल्क के रूप में राशि रूपये 5,000/- (अक्षरी पांच हजार मात्र) विधान सभा सचिवालय की लेखा शाखा में, निविदा प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

-:निविदा की शर्तें/जानकारी:-

01. निविदा के साथ विगत तीन वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के आयकर गणना प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
02. वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पंजीयन की छाया प्रति के साथ विगत 05 वर्षों की 3बी की प्रति संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा जी.एस.टी. डिपार्टमेंट में कोई भी केस लंबित नहीं है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र निविदाकर्ता के सी.ए. द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए (UDIN NO के साथ होना अनिवार्य है)।
03. संस्था का छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन अनिवार्य है, साथ ही विगत 10 वर्ष पुराने कम से कम 200 कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत हों, जिसका ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. की जानकारी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी सी.ए. द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए (UDIN NO के साथ होना अनिवार्य है)।
04. संस्था का कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विगत 05 वर्षों का (माह मार्च, 2026 तक) 200 कर्मचारियों की अंशदान के चालान की छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत हो।
05. निविदाकर्ता संस्था को ISo(International organization for Standardization) EMS Environmental Management Systems) OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services) से विगत 04 वर्षों का प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
06. प्रत्येक माह सफाई कार्य के देयक के साथ कार्यरत सफाई कर्मियों की भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि की राशि जमा पर्ची (पीडीएफ) संलग्न करनी होगी, अन्यथा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक मान्य नहीं होगा।
07. सफाई कार्य में संलग्न कर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावेगा, तत्संबंधी प्रमाण पत्र (वेतन हस्तांतरण दस्तावेज) प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध अवधि में हुई वेतन वृद्धि की स्थिति में विधान सभा सचिवालय द्वारा कोई भी अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जावेगा।
08. किसी प्रतिष्ठित कार्यालय/संस्थान में समान क्षमता का कम से कम 04 वर्ष साफ-सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण -पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
09. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी पाँच लाख मात्र) की एफ0डी0 "सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा रायपुर के नाम से देय" संलग्न करना होगा। सफल निविदाकर्ता संस्था की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात्

- अमानत राशि (एफ0डी0) वापस की जावेगी। शेष निविदाकारों की अमानत (एफ0डी0) सफल निविदाकार से अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात् वापस की जावेगी।
10. साफ-सफाई का अनुबंध दो वर्षों के लिये होगा, दो वर्ष पश्चात् आपसी सहमति उपरान्त अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिये अधिकतम 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष की वृद्धि मान्य होगी।
 11. अन्तः सत्रकाल में नियमित रूप से 50 सफाई कर्मी एवं 03 सुपवाइजर कार्यरत रहेंगे तथा सत्रकाल में उक्त प्रतिदिन नियमित कर्मियों के अतिरिक्त 10 सफाई कर्मी रखना आवश्यक होगा।
 12. विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित भवनों/कार्यालयों/कक्षों की नियमित रूप से सफाई अनिवार्यतः करने के लिये कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है।
 13. संबंधित संस्था/फर्म को विधान सभा भवन एवं विधान सभा परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, ऑगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों एवं समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई करना होगा तथा दरवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले, पान तम्बाखू के दाग-धब्बे भी हटाना/साफ करना होगा।
 14. सभा भवन, लॉबी एवं अन्य कक्षों में लगे कारपेट की सफाई विशिष्ट उपकरण से एवं उपयुक्त रसायन (केमिकल) से की जानी होगी।
 15. शौचालयों के सफाई कार्य में उत्तमगुणवत्ता के फिनाईल, लिक्विड, सोप, फिनाईल, गोलियों, ओडोनिल रूम/टॉयलेट फ्रेशनर, टायलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रतिघंटे के अंतराल में करनी होगी, जिसका सफाई कार्य संबंधी शौचालयवार चैक लिस्ट चस्पा करनी होगी, जिस पर विधान सभा सचिवालय के अधिकृत स्टॉफ द्वारा हस्ताक्षर कर पुष्टि की जाएगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा।
 16. प्रतिदिन साफ-सफाई संबंधी कार्य में प्रमुख सामग्री झाड़ू, पोछा, फिनाईल, सर्फ-सोडा, शेम्पू, डस्ट बीन, रूम फ्रेशनर, जाला झाड़ू, पेपर नेपकिन, टायलेट क्युब, बाथरूम फ्रेशनर आदि सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये तथा समस्त शौचालयों में गुणवत्तायुक्त लिक्विड, हेण्डवॉश रखना अनिवार्य होगा। सामग्री का प्रतिमाह भौतिक सत्यापन कराना होगा।
 17. साफ-सफाई कार्य हेतु परिशिष्ट "क" अनुसार प्रतिमाह न्यूनतम सामग्री का उपयोग करना होगा तथा अतिरिक्त सामग्री लगने पर निविदाकार को स्वयं के व्यय से व्यवस्था करनी होगी। सामग्री की स्टॉक पंजी भी व्यवस्थित रखनी होगी।
 18. डस्टबीन की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जा कर डालना होगा।

19. महिला शौचालयों की साफ-सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी रखना अनिवार्य होगा।
20. जहां-जहां साफ-सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी, वह भी करना होगा साथ ही प्रतिदिन फर्श, सीढ़ियों, रेम्स (टाईल्स मार्बल व कोटा स्टोन) की सफाई करनी होगी।
21. सभी फर्नीचरों, दरवाजों, खिड़कियों की तथा कांच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जावेगी।
22. साफ-सफाई कार्य हेतु मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाईल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा।
23. आवश्यकतानुसार सचिवालय के विभिन्न स्थानों में फ्युमिगेशन कार्य प्रामाणिक रसायन से करना होगा।
24. संस्था द्वारा न्यूनतम 03 नग सिंगल डिस्क स्क्रबर, 03 नग वेक्युम क्लीनर, 02 नग फ्युमिगेशन मशीन, 02 नग स्प्रे मशीन (बैटरी ऑपरेटेड) 01 हाई प्रेशर बॉटर जेट मशीन सफाई कार्य में संलग्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ती हो तो उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव में किया जा सकता है। मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
25. युनीफार्म एवं आई.डी. युक्त सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों से छेड़-छाड़ नहीं करना होगा। यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों का क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की सम्पूर्ण वसूली संबंधित संस्था/फर्म से की जावेगी। सफाई कर्मियों के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने, विधान सभा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने, एवं ठीक से काम नहीं करने पर उसे विधान सभा के साफ सफाई कार्य से अविलंब हटा दिया जावेगा।
26. विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा भवन एवं परिसर की साफ-सफाई का कार्य सुबह 7:30 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा तथा उसे सतत जारी रखना होगी। सत्रकाल में सदन की बैठक समाप्ति तक एवं आवश्यकतानुसार रात्रि में भी उपस्थित रहना होगा। अन्तः सत्रकाल में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः 7:30 से संध्या 4:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
27. विधान सभा भवन की उचित साफ-सफाई न होने या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रूपये 10,000/- (दस हजार) तक प्रतिदिन (पेनाल्टी) अधिरोपित करते हुए निविदाकार के मासिक देयक से कटौती की जावेगी।
28. साफ-सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा ही की जावेगी तथा सचिवालय की "संपदा शाखा" की देख-रेख में उसका उपयोग किया जावेगा, आवश्यकता पड़ने पर इसकी गुणवत्ता की जांच सचिवालय या अन्य संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी।

29. अनुबंधकर्ता नियत अविधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि अनुबंध अवधि समाप्ति पूर्व कार्य छोड़ा गया तो नवीन अनुबंध से होने वाली शासकीय धन क्षति की वसूली पूर्व निविदाकार फर्म से की जावेगी।
30. निविदाकर्ता द्वारा निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सेक्टर-19 अटल नगर नया रायपुर को संबोधित करते हुए संपदा शाखा में प्रस्तुत करनी होगी।
31. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी।
32. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा।
33. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा।
34. कार्य की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय/आदेश बंधनकारी होगा।
35. निविदाकर्ता का छत्तीसगढ़ राज्य लोक निर्माण विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है बिना पंजीयन के निविदा अमान्य मानी जावेगी।
36. निविदाकर्ता के पास लोक निर्माण विभाग में पंजीयन निविदा प्रकाशन होने के पूर्व का आवश्यक है।
37. निविदाकर्ता के पास पेस्ट कन्ट्रोल लाईसेंस होना चाहिए या लाईसेंस होल्डर के साथ सर्विसेस के लिए अनुबंध होना आवश्यक है, लाईसेंस निविदा प्रकाशन के पूर्व का होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
38. निविदाकर्ता को पिछले 5 वित्तीय वर्ष का सकारात्मक साख मुल्यांकन (Credit Rating) की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करनी होगी, बिना इसके निविदा अमान्य मानी जावेगी। निविदाकर्ता को कम से कम 50 कर्मचारियों का 02 जीवित लेबर लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की सहमति
में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

विधानसभा में प्रतिमाह उपयोग किये जाने वाली न्यूनतम सामग्री

क्र	सामग्री विवरण	मात्रा
01	टास्की आर-2 (फ्लोर क्लीनर) अथवा समकक्ष	50 लीटर
02	टास्की आर-3 (ग्लास क्लीनर) अथवा समकक्ष	50 लीटर
03	टास्की आर-5 (एयर फ्रेशनर) अथवा समकक्ष	30 लीटर
04	टास्की आर-6 (फ्लोर क्लीनर) अथवा समकक्ष	30 लीटर
05	सॉफ्टकेयर स्टार (हैंड वॉश) अथवा समकक्ष	30 लीटर
06	फिनाईल	50 लीटर
07	डामर गोली	20 किलोग्राम
08	ओडो निल	200 नग
09	सॉफ्ट ब्रूम	30 नग
10	हार्ड ब्रूम	30 नग
11	वेट मॉप सेट	15 सेट
12	ड्राई मॉप सेट	15 सेट
13	एयर फ्रेशनर (प्रीमियम/गोदरेज/ओडोनिल के समकक्ष)	100 नग
14	सामान्य डस्टर	100 नग
15	डिटर्जेंट	50 किलोग्राम
16	वाईपर 19"	20 नग
17	सुपली	50 नग
18	बाल्टी	50 नग
19	मग	50 नग
20	टॉयलेट ब्रश	20 नग
21	युरीनल पैड स्क्रीन	50 नग
22	एसिड	20 लीटर
23	स्प्रे बॉटल	20 नग
24	लिव्कीड सोफ डिस्पेंसर (225 एम.एल.)	50 नग
25	पेपर नेपकिन (एम फोल्ड)	50 पैकेट
26	बेसिल्लोसिड (फ्युमिगेशन हेतु)	15 लीटर

- क्रमांक 1 से 15 तक प्रतिमाह उपयोग होगी
- क्रमांक 16 से 26 तक कार्य प्रारंभ करते समय आवश्यकतानुसार पश्चात् आगामी माह से उपरोक्त दर्शित मात्रा अनुसार प्रतिमाह लगानी होगी ।
- आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त न्यूनतम दर्शित मात्रा के अतिरिक्त समाग्री का उपयोग करना होगा । जिसका अतिरिक्त भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

विधानसभा भवन/परिसर की सफाई का कार्य

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र)
धरोहर राशि : 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र)

1. तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव दो पृथक-पृथक सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा ।
2. तकनीकी प्रस्तावों के साथ तकनीकी प्रस्तावों का निविदा प्रपत्र संबंधी दस्तावेज एवं निविदा की शर्तें संलग्न की जानी है ।
3. तकनीकी प्रस्ताव पूर्ण पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।
4. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी-अधूरी जानकारी दिये जाने, शर्तें सम्मिलित करने, अस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर निविदाकार को निविदा प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी, जिसमें सभी प्रकार के कर शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

(भाग-एक)

साफ-सफाई कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
2. स्थाई पता :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. टेलीफोन नम्बर : एस.टी.डी. कोड ईमेल एड्रेस.....
मोबाईल नम्बर :
5. धरोहर राशि रूपये 5,00,000/- एफ.डी. का विवरण
नम्बर : दिनांक.....
बैंक का नाम एवं पता :
6. (अ) पूर्व अनुभव का विवरण (संस्था द्वारा अवधि एवं कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है
अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा)

क्रमांक	संस्था का नाम	अवधि	राशि	कार्य विवरण	कार्य छोड़ने का कारण	कार्य समयावधि पूर्ण होने पर या पहले छोड़ा गया

(ब) वर्तमान में कहां-कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

7. साफ-सफाई कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले यंत्रों का विवरण

क्रमांक	नाम यंत्र का मेक एवं निर्माण वर्ष	यंत्र का कार्य	संख्या

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं । निविदा की शर्तों के अनुसार समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज संलग्न किये गए हैं । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

(भाग-दो)

साफ-सफाई कार्य संबंधी वित्तीय प्रस्ताव
(दो वर्ष हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
2. स्थाई पता :
3. रायपुर में कम्पनी का पूरा पता व कार्यालय कब से स्थापित है संबंधी जानकारी (मय प्रमाण के) :
.....
4. टेलीफोन नम्बर : एस.टी.डी. कोड ईमेल एड्रेस,.....
मोबाईल नम्बर :
5. श्रमिकों का वेतन समस्त भत्तों सहित प्रतिमाह
उपकरणों/मशीनों का शुल्क प्रतिमाह कर सहित
जी.एस.टी. प्रतिमाह
कार्य हेतु सामग्री की राशि प्रतिमाह
अन्य शुल्क प्रतिमाह
लाभांश प्रतिमाह
6. सम्पूर्ण विधानसभा परिसर/कक्षों की साफ-सफाई राशि प्रतिमाह समस्त कर सहित (बिन्दु 05 का योग)
अंको में रूपये,.....
शब्दों में रूपये,.....
7. अन्य अभियुक्ति

नोट : : मशीनों के देयक निविदा के साथ पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।

श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाने पर नियोक्ता को सफाई कर्मियों, सुपरवाइजरों को परिवर्तित न्यूनतम वेतन, ईपीएफ एवं ईएसआईसी तथा बोनस बढ़े दर से देना अनिवार्य है, परन्तु अनुबंध लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मैंने/हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं। प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

मासिक वित्तीय बोली					
	उच्च कुशल	कुशल	अकुशल		
	सुविधा प्रबंधक	पर्यवेक्षक	SWEEPER	HOUSEKEEPER	
मूल वेतन	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
परिवर्तनीय महंगाई भत्ता	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
उप-योग ए	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
सीजी सरकार श्रम कल्याण निधि	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
अन्य भत्ता (यदि कोई हो)	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
उप-योग B	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम - नियोक्ता का अंशदान सकल वेतन का 3.25%	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
कर्मचारी भविष्य निधि - मूल वेतन और कर्मचारी विकास निधि का 12% नियोक्ता का अंशदान।	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
कर्मचारी भविष्य निधि - प्रशासनिक शुल्क और ईडीएलआई मूलधन और वीडिए का 1%	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
उप-योग C	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
बेसिक+वीडीए पर 8.33% का बोनस	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
उप-योग D	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
रिटेनर शुल्क (साप्ताहिक अवकाश के लिए)	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
उप-योग E	रु. _____	रु. _____	रु. _____	रु. _____	
मानवशक्ति की संख्या	1	3	20	26	50
मानव संसाधन की कुल लागत					रु. _____
सामग्री शुल्क (सूची के अनुसार)					रु. _____
उपकरण/मशीन - मासिक शुल्क (तैनात की जाने वाली सभी नई मशीनें (आईपीसी/कार्चर/पूरेका या समकक्ष))					
गीले और सूखे वैक्यूम क्लीनर	3 इकाई				रु. _____
सिंगल डिस्क स्क्रबर	3 इकाई				रु. _____
उच्च दबाव वाले पानी के जेट	2 इकाई				रु. _____
पीछे से चलने वाला स्क्रबर ड्रायर (इलेक्ट्रिक)	3 इकाई				रु. _____
राइड ऑन स्क्रबर ड्रायर (बैटरी से चलने वाला)	1 इकाई				रु. _____
सड़क साफ करने वाली मशीन (बैटरी से चलने वाली)	1 इकाई				रु. _____
उप-योग F					रु. _____
सेवा मार्जिन @ ___%					रु. _____
उप-योग G					रु. _____
126 दिनों के सत्र के दौरान आवश्यक मानव संसाधन (90 दिनों का सत्र + सत्रों के बीच में 18 शनिवार + 18 रविवार)					रु. _____
प्रति माह मूल अनुबंध राशि					रु. _____
जीएसटी अतिरिक्त					रु. _____
			कुल योग (प्रति माह)		रु. _____
s					
मानव संसाधन तैनाती - दैनिक आधार पर					
	HOUSEKEEPER	SWEEPER	पर्यवेक्षक	प्रबंधक	
बाहरी सड़क क्षेत्र	4	8	0	1	
विंग ए	12	5	1		
विंग बी	6	4	1		
विंग सी	4	3	1		
दैनिक आधार पर कुल तैनाती	26	20	3	1	50